अन्तिम डिक्री

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)
(civil Procedure Code Appendix D-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम अराई (अजमेर)
व इजलास **श्री खेमा राम यादव** (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर 127/2019 नवीन मु.नं. 272 /2020

1. विष्णु पुत्र स्व. भंवरलाल जाति ब्राहमण आयु 52 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान । ....वादी

बनाम

1. श्रवण पुत्र स्व. भंवरलाल जाति ब्राहमण आयु 72 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।
2. ब्रह्मा पुत्र स्व. भंवरलाल जाति ब्राहमण आयु 60 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।
3. भंवरी पत्नि गजानन्द जाति ब्राहमण आयु 60 साल निवासी ग्राम छीपा की ढाल मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान ।
4. मणिशंकर पुत्र गजानन्द जाति ब्राहमण आयु 40 साल निवासी ग्राम छीपा की ढाल मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान ।
5. विमला पुत्री गजानन्द पत्नि सत्यनारायण जाति ब्राहमण आयु 60 साल निवासी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान ।
6. रतनी पत्नि बह्मानन्द जाति ब्राहमण उम्र 55 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।
7. रामप्यारी पत्नि विष्णु जाति ब्राहमण आयु 50 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।
8. बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
9. बैंक ऑफ महाराष्ट्र किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान जरियेशाखा प्रबन्धक महोदय।
10. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

.......प्रतिवादीगण

दावा बाबत :– धारा 88 89(राज.का. अधि.1955)व धारा 136 भू.राज. अधि.1956

मुकदमा नम्बरः– 127 / 2019, नवीन 272 / 2020

निर्णय दिनांकः– 28.04.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:27:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अरांई में वकील वादी की उपस्थिति में वाद पत्र ... बहस सुनने के बाद आज तारीख. 28.04.2022 को डिक्रीदार पीठसीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, बहस वकील वादी अनुसार वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,89 राज.का. अधि. 1955 व धारा 136 भू.राज. अधि.1956 को स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई भू.अ.नि. अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1252 खसरा संख्या 744, 779, 1595, 1596, 1655 / 3379, 1687, 1688, 1704,

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

1705, 2811, 2812 कुल किता 11 कुल रकबा 118 बीघा 09 बीस्वा में महेश वल्द भँवरलाल के हिस्से 1/12 को विलोपित किया जाता है तथा उपरोक्त के स्थान पर श्रवण, गजानन्द, ब्रह्मा व [illegible] को 5/12 के स्थान पर 1/2 हिस्सा में खातेदार घोषित किया जाता है तथा वाद को डिकी किया जाकर तहसीलदार अरांई को राजस्व रिकार्ड में उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं, शेष जमाबन्दी इन्द्राज बदस्तुर रहेगा।

यह डिकी आज तारीख 28.04.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर से जारी की गई।

28/04/2022

खेमा राम यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अराई

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:27:53 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 127/2019 नवीन 272 /2020

1. विष्णु पुत्र स्व. भंवरलाल जाति ब्राहमण आयु 52 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान । ....वादी

बनाम

2. श्रवण पुत्र स्व. भंवरलाल जाति ब्राहमण आयु 72 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।
3. ब्रहमा पुत्र स्व. भंवरलाल जाति ब्राहमण आयु 60 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।
4. भंवरी पत्नि गजानन्द जाति ब्राहमण आयु 60 साल निवासी ग्राम छीपा की ढाल मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान ।
5. मणिशंकर पुत्र गजानन्द जाति ब्राहमण आयु 40 साल निवासी ग्राम छीपा की ढाल मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक राजस्थान ।
6. विमला पुत्री गजानन्द पत्नि सत्यनारायण जाति ब्राहमण आयु 60 साल निवासी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान ।
7. रतनी पत्नि बह्मानन्द जाति ब्राहमण उम्र 55 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।
8. रामप्यारी पत्नि विष्णु जाति ब्राहमण आयु 50 साल निवासी ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला
अजमेर राज0।
9. बैंक ऑफ बडौदा शाखा अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
10. बैंक ऑफ महाराष्ट्र किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान जरियेशाखा प्रबन्धक महोदय।
11. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ....

प्रतिवादीगण

दावा बाबत :— धारा 88,89 (राज.का. अधि.1955)व धारा 136 भू.राज. अधि.1956

मुकदमा नम्बरः— 127 / 2019, नवीन 272 / 2020

आदेश

निर्णय दिनांक 28.04.2022

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः- श्री हनुमान प्रसाद वकील वादी व वादी स्वयं

1. संक्षिप्त में वाद का सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वकील श्रीहनुमानप्रसाद शर्मा जी ने वाद अन्तर्गत धारा 88,89 (राज.का. अधि.1955)व धारा 136 भू.राज. अधि.1956 के तहत उपखण्ड न्यायालय किशनगढ में पेश किया तथा दिनांक 14.06. 2019 को जांच बाद प्रकरण 127 / 2019 पर दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये नोटिस तलबी की गई। उक्त प्रकरण नवगठित उपखण्ड न्यायालय अरांई में उपखण्ड

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

न्यायालय किशनगढ से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पुनः 272/2020 पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद में वादीगण की और से वकील वादी श्री हनुमानप्रसाद ने दावा किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की संयुक्त कब्जे व काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाकै ग्राम अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर में स्थित है जिसका राजस्व रिकार्ड निम्नानुसार है

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1252	744	02 बीघा 13 बीस्वा
	799	05 बीघा 03 बीस्वा
	1595	00 बीघा 10 बीस्वा
	1596	09 बीघा 03 बीस्वा
	1655/3379	20 बीघा 12 बीस्वा
	1687	01 बीघा 08 बीस्वा
	1688	00 बीघा 11 बीस्वा
	1704	00 बीघा 05 बीस्वा
	1705	16 बीघा 19 बीस्वा
	2811	59 बीघा 17 बीस्वा
	2812	01 बीघा 08 बीस्वा
	कुल किता 11कुल रकबा 118 बीघा 08 बीस्वा	

उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि वादी के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के पिता व प्रतिवादी संख्या 03 के ससुर तथा प्रतिवादी संख्या 04 व 05 के दादाजी प्रतिवादी संख्या 06 व 07 के ससुर स्व. भंवरलाल पुत्र मांगू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम अरांई के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी वादी के पिता स्व. भंवरलाल पुत्र श्री मांगू की मृत्यु हो चुकी है तथा भंवरलाल के चार पुत्र श्रवण गजानन्द फौत व ब्रहमा व विष्णु है। गजानन्द फौत हो चुका है जिसके वारिसान क्रमशः भंवरी, मणिशंकर व विमला है। भंवरलाल पुत्र मांगू भी फौत हो चुका है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 05 है। यह है कि वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार भंवर लाल पुत्र मांगू के स्वर्गवास के समय वादअधीन भूमि में 1/2 हिस्सा था। भंवरलाल के स्वर्गवास के समय वादअधीन भूमि में 1/2 हिस्सा था । भंवरलाल के स्वर्गवास के समय उनकी पत्नी हगाम व चार पुत्र श्रवण ,गजानन्द, बह्मा व विष्णु जीवित थे जिनके नाम विरासत का नामान्तरण संख्या 460 दिनांक 06.01.1983 को कैम्प अरांई में मजमे आम में तस्दीक किया गया था जिसका सजरा नामान्तरण पंजिका में इन्द्राज किया हुआ है। इस नामान्तरण का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2041 में सर्वप्रथम दर्ज हुआ है। इसका इन्द्राज नामान्तरण संख्या 460 दिनांक 06.01.1983 के अनु[illegible] इन्द्राज किया हुआ है। यह है कि सम्वत 2041 के जमाबन्दी के पश्चात आगामी [illegible]बन्दी संवत 2043 से 2046 में खातेदारान की प्रविष्टि में कालम संख्या 04 में श्रवण, गजानन्द, बह्मा व विष्णु व मु0 हगाम के साथ साथ महेश पिता भंवरलाल के नाम का सहव[illegible] से गलत इन्द्राज कर लिया गया है। जबकि स्वर्गीय भंवरलाल जी के ना तो महेश नाम का कोई पुत्र था तथा ना ही महेश पुत्र भंवरलाल नामान्तरण में दर्ज था ना ही सम्वत 2041 के जमाबन्दी में महेश पुत्र भंवरलाल का नाम दर्ज था । गलती से सहवन से या लापरवाही से महेश पिता भंवरलाल का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

नाम गलत रूप से इन्द्राज कर दिया गया। यह है कि हगाम पत्नि भंवरलाल का स्वर्गवास हो चुका है,गजानन्द पुत्र भंवरलाल का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 03 लगायत 05 है। वर्तमान में श्रवण,गजानन्द,ब्रहमा व विष्णु पिता भंवरलाल हिस्सा 5/12 व महेश पुत्र भंवरलाल का हिस्सा 1/12 दर्ज किया हुआ है। महेश पुत्र भंवरलाल का हिस्सा 1/12 हिस्सा गलत इन्द्राज किया हुआ है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

2. वादी का वाद दिनांक 14.06.2019 को दर्ज किया गया है तथा प्रतिवादीगणों को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 की ओर से वकील श्री बृजलाल व्यासजी द्वारा वकालतनामा पेश किया गया व जवाब हेतु समय चाहा व प्रतिवादी संख्या 09 कि ओर से वकील विमल बाफना द्वारा वकालतनामा पेश किया तथा जवाब हेतु समय चाहा। प्रतिवादीसंख्या 02,03,04,06,08,09,10 बावजूद नोटिस तामिल होने पर भी अनुपस्थित रहे अतः उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई। प्रतिवादी संख्या 01,05,07 की ओर से सहमति का जवाबदावा प्राप्त हुआ। प्रकरण में सहमति का जवाबदावा प्राप्त होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। तथा वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 08.04.2022 को पेश हुई। दिनांक 08.04.2022 को वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई तहसील अरांई जिला अजमेर की कृषि भूमि

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा
1252	744	02 बीघा 13 बीस्वा
	799	05 बीघा 03 बीस्वा
	1595	00 बीघा 10 बीस्वा
	1596	09 बीघा 03 बीस्वा
	1655/3379	20 बीघा 12 बीस्वा
	1687	01 बीघा 08 बीस्वा
	1688	00 बीघा 11 बीस्वा
	1704	00 बीघा 05 बीस्वा
	1705	16 बीघा 19 बीस्वा
	2811	59 बीघा 17 बीस्वा
	2812	01 बीघा 08 बीस्वा
	कुल किता 11	कुल रकबा [illegible] बीघा 08 बीस्वा

के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज श्रवण व [illegible] व ब्रह्मा व [illegible] पिता भंवरलाल हिस्सा 5/12, महेश वल्द भंवरलाल 1/12 हिस्सा [illegible] ब्रह्मा व विष्णु पिता भंवरलाल हिस्सा 1/2 होना घोषित [illegible] ग व गजानन्द व ब्रह्मा व विष्णु पिता भंवरलाल हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड व जमाबन्[illegible] में दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरूस्त की घोषणात्मक एवं इन्द्राज दुरूस्ती की डिक्री पारित फरमावे। एवं इस आशय की तहरीर तहसीलदार अरांई को जारी किये जाने के आदेश प्रदान करवावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:27:53 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

हमारे द्वारा वकील वादी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दस्तावजों के अवलोंकन से यह बिन्दु तो स्पष्ट है कि महेश पुत्र भंवरलाल का नाम नामान्तरण संख्या 460 दिनांक 06.01.1983 में अंकित नहीं है किन्तु रोटेशनल जमाबन्दी में महेश पुत्र भंवरलाल का नाम त्रुटिवश अंकित किया गया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजात व वकील वादी की बहस के बाद वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित ग्राम अरांई पटवार हल्का अरांई स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 1252 (अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2074–2077) के खसरा संख्या 744, 799, 1595, 1596, 1655/3379, 1687, 1688, 1704, 1705, 2811, 2812 कुल खसरे 11 कुल रकबा 118 बीघा 09 बीस्वा में महेश वल्द भँवरलाल के हिस्से 1/12 को विलोपित किया जाता है तथा उपरोक्त के स्थान पर श्रवण, गजानन्द, ब्रहमा व विष्णु को 5/12 के स्थान पर 1/2 हिस्सा में खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार अरांई को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जातें है।

आदेश आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षरित होने के बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

28/04/2022

खेमाराम यादव
उपखण्ड अधिकारी अरांई
उपखण्ड अधिकारी
अंराई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2023.11.28 13:27:53 IST
Reason: SelfAttested